भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1983**
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रबंधन**

**†1983. श्री राव राजेन्द्र सिंहः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे नल के जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) मिशन के अंतर्गत स्थापित जल गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ग) मिशन के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित अथवा उन्नत की गई जल शोधन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) मिशन के अंतर्गत पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या के समाधान तथा जल गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन अगस्त, 2019 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

जेजेएम के तहत, परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल जीवन मिशन मानकों के अनुरूप पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों के चालू होने तक विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में प्रत्येक परिवार को उनकी पेय और खाना बनाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम निधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत, जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए, जल नमूनों के संग्रहण, पेयजल की रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:
https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी संबंधी संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण बिंदुओं पर पेयजल के नमूनों के व्यापक परीक्षण और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) का है।

मार्च 2023 में, पेयजल शोधन प्रौद्योगिकियों पर एक अन्य पुस्तिका जारी की गई थी ताकि सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना का प्रसार किया जा सके और वे स्थानीय मुद्दों तथा जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में इन नई तकनीकों का उपयोग कर सकें तथा इसे कार्यान्वित कर सकें। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर एक या अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकियों की उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों/थोक जल अंतरण के आधार पर पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति स्कीम को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत अन्वेषण समिति की सिफारिश के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहचान किए गए जल स्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में स्कीम डिजाइन अवधि के लिए अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है।

*****